GENERAL CONDITION OF SERVICE RULES

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 1984/आषाढ़ 21, 1906
No. 259] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 1984/ASADHA 21, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ऊर्जा मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1984

अधिसूचना

सा० का० नि० 509(अ) :--केन्द्रीय सरकार, तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तेल उद्योग विकास बोर्ड, कर्मचारी (सेवा की साधारण शर्तें) नियम, 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड, कर्मचारी (साधारण सेवा शर्तें) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :--इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "अधिनियम" से तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) अभिप्रेत है ;

(ख) किसी शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से बोर्ड, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है--

(i) समूह "क" पदों की बाबत ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के सम्बन्ध में, अध्यक्ष ;

(ii) समूह ख, ग और घ पदों की बाबत ऐसी शक्ति का प्रयोग करने के संबंध में, सचिव ;

(ग) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;

(घ) "कर्मचारी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो बोर्ड के अधीन कोई पद धारण करता है किन्तु आकस्मिक कर्मचारी इसके अन्तर्गत नहीं है ;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ।

3. लागू होना :--(1) ये नियम निम्नलिखित के सिवाय बोर्ड के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे--

(क) ऐसे कर्मचारी जो बोर्ड में अन्यत्र सेवा निबंधनों पर हैं, उनके मामले में नियुक्ति और सेवा के निबंधन और शर्तें लागू होंगी जो बोर्ड और सेवा उधार-दाता संगठनों के बीच करार पाई है; और

(ख) जिनके संदाय आकस्मिकताओं से किया जाता है ।

(2) इन नियमों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी को उसके ऐसे किसी अधिकार या विशेषाधिकार से वंचित नहीं करेगा जिनका वह--

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन, या

(ख) ऐसे व्यक्ति और सरकार के बीच अस्तित्वशील सेवा के निबंधनों या शर्तों अथवा किसी करार द्वारा ; या

(ग) इन नियमों के प्रारम्भ पर उस व्यक्ति और बोर्ड के बीच अस्तित्वशील निबंधनों या करार द्वारा, हकदार है ।

4. पदों का सृजन और उन पर नियुक्ति बोर्ड ऐसे पदों का सृजन कर सकेगा जो उसके कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक हों और उन पर नियुक्तियां कर सकेगा :

परन्तु यह कि समूह "क" और समूह "ख" पदों के सृजन और उन पर नियुक्तियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाएगा ।

परन्तु यह और कि समूह "क" और समूह "ख" पदों के सृजन और उन पर पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ आधार पर नियुक्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं है ।

5. बोर्ड के कार्यालय स्थापन की सदस्य संख्या और संरचना :--बोर्ड में पदों के प्रवर्गों और नियमित आधार पर मंजूर की गई उनकी संख्या वह होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है ।

6. नियुक्तियां :--बोर्ड की सेवा में पदों पर सभी नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

7. भर्ती के लिए अर्हताएं और पद्धति :--किसी पद या पदों के वर्ग के लिए अर्हताएं और उन पर भर्ती की पद्धति वह होगी जो बोर्ड समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

8. आरंभिक नियुक्ति पर आयु :--(1) किसी व्यक्ति को बोर्ड में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा; जब तक कि उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ।

(2) बोर्ड के अधीन किसी पद पर नियुक्त हु नया कर्मचारी नियुक्ति के समय ईसवीं सन में अ की घोषणा करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी के स रूप में पुष्टिकारक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

9. चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन :--अभ्य चयन मात्र ही नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के जैसी आवश्यक समझी जाए, यह समाधान नहीं है कि अभ्यर्थी, उसके चरित्र और पूर्ववृत्त को ध्यान हुए, नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

10. सेवा में प्रथम बार प्रवेश पर चिकित्सा पत्र :--किसी व्यक्ति को सेवा में आरंभिक प्रवेश इस निमित्त सरकारी अनुदेशों के अनुसार स्वास्थ चिकित्सीय प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किए बिना बोर्ड पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

परन्तु यह कि, बोर्ड आदेश द्वारा किसी अभ्य अभ्यर्थियों के वर्ग को ऐसा आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तु से या तो स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से छूट दे

11. ज्येष्ठता :--किसी कर्मचारी की, उस श्रे जिसका वह है, ज्येष्ठता केन्द्रीय सरकार के इस अनुदेशों के अनुसार विनियमित और अवधारित की ज

12. प्रोन्नति :--प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पदों को निम्नलिखित दो प्रवर्गों में वर्गीकृत किया अर्थात् :—

(क) चयन पद :--वे पद, जिन पर प्रोन्नति को सम्यक रूप से ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के पर चयन द्वारा की जाएगी ।

(ख) अचयन पद :--पद, जिन पर प्रोन्नति व्यक्तियों को अस्वीकार करने के अधीन रहते हुए द्वारा की जाएगी ।

13. बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा का अन्य निबंधनों के आधार पर उधार दिया जाना :--

(1) स्थायी कर्मचारियों को और ऐसे अस्थायी चारियों को जिन्होंने बोर्ड में तीन वर्ष से है, प्रतिनियुक्ति पर अन्य संगठनों में ज अनुज्ञा दी जा सकेगी । प्रत्येक दशा नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत की जाएगी प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथम बार 2 वर्ष

परन्तु किसी कर्मचारी को प्राइवेट संगठनों में प्रति पर जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(2) ऐसे मामले में, जहां कर्मचारी की सेवाएं किसी बाह्य प्राधिकरण के व्ययनाधीन रख दी गई हैं, वहां वह उन सभी संरक्षणों और फायदों का हकदार होगा जो उसे तब मिलते यदि वह बोर्ड में ही रहा होता ।

(3) अन्यत्र सेवा को शासित करने वाले निबन्धन और शर्तें उधार लेने वाले विभाग से परामर्श कर के निश्चित की जाएंगी ।

(4) उधार लेने वाला संगठन निम्नलिखित के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा—

(i) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में तेल उद्योग विकास बोर्ड, कर्मचारी (मृत्यु और सेवा-निवृत्त) उपदान नियम, 1983 के नियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसार अनुज्ञेय उपदान की अतिरिक्त राशि ;

(ii) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान मृत्यु या उपहति की दशा में कोई प्रतिकर जो बोर्ड के नियमों या किसी अन्य अधिनियम या नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो ।

(5) उधार लेने वाला संगठन प्रतिनियुक्ति पर होने के दौरान उपगत किसी अशक्तता के कारण कर्मचारी को दी गई अशक्तता छुट्टी की बाबत छुट्टी सम्बलम (जिसके अन्तर्गत भत्ते हैं) संदाय करने का दायी होगा भले ही ऐसी अशक्तता प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति के पश्चात भी प्रकट हुई हो ।

14. पदत्याग :

(1) किसी कर्मचारी का त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा ।

(2) प्रत्येक अस्थायी कर्मचारी से अपना त्यागपत्र देते समय बोर्ड को एक मास की लिखित सूचना देने की अपेक्षा की जाएगी ।

परन्तु यह कि किसी ऐसे कर्मचारी से जो स्थायी घोषित कर दिया गया है तीन मास की सूचना देने की अपेक्षा की जाएगी ।

(3) उपनियम (2) के उपबन्धों के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेकानुसार कर्मचारी का त्यागपत्र तत्कालिक प्रभाव से या सूचना अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी समय स्वीकार कर सकेगा ।

15. सेवा की समाप्ति :—(1) जैसा सेवा संविदा म विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी समय बिना कारण बताए कर्मचारी को एक लिखित सूचना देकर समाप्त की जा सकेंगी और ऐसी सूचना की अवधि एक मास होगी ।

परन्तु यह कि ऐसे किसी भी कर्मचारी की सेवाएं तुरन्त समाप्त की जा सकेंगी और ऐसी समाप्ति पर कर्मचारी, यथास्थिति सूचना की अवधि के लिए, अपने वेतन और भत्ते की रकम के समतुल्य राशि का दावा उन्हीं दरों पर करने का हकदार होगा जो यह वह अपनी सेवा समाप्ति के ठीक पहले प्राप्त कर रहा था, यह उस अवधि के लिए जिस तक ऐसी सूचना की अवधि एक मास से कम पड़ती है ।

16. सेवा-निवृत्ति : (1) समूह "घ" के किसी कर्मचारी के लिए बोर्ड से सेवा-निवृत्ति होने की आयु 60 वर्ष और अन्य सभी कर्मचारियों के लिए 58 वर्ष होगी और वह उस मास में जिसमें वह निवृत्ति की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न से सेवा-निवृत्त होगा ।

(2) समूह 'घ' कर्मचारी से भिन्न किसी कर्मचारी की सेवा की अवधि का विस्तार उसके सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् बोर्ड की मंजूरी और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से मंजूर किया जा सकेगा यदि ऐसा विस्तार बोर्ड के कार्य के हित में हो और उसके लिए जो कारण है वे लेखबद्ध कर दिए जाते हैं ।

परन्तु यह कि इस उपनियम के अधीन सेवा में दो वर्ष की अवधि से अधिक का विस्तार विशेष परिस्थितियों में ही मंजूर किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(3) कोई कर्मचारी पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर सेवा से निवृत्त हो सकेगा ।

(4) ऐसा कर्मचारी जिसने बीस वर्ष से अन्यून की अर्हक सेवा कर ली है नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर अर्हक सेवा के लिए पांच वर्ष तक के अधिक भार सहित निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सेवा-निवृत्त हो सकेगा—

(1) अधिकार भार दिए जाने के पश्चात् कुल अर्हक सेवा किसी भी दशा में 30 वर्ष की अर्हक सेवा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(2) अधिकार भार (वेटेज) दिए जाने के पश्चात् कुल अर्हक सेवा उस अर्हक सेवा से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(3) जो उसने तब की होती उपनिमिध के अधीन विहित 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवा-निवृत्त होता ।

17. पुनर्नियोजन :—(1) कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड, सरकार या किसी ऐसे निकाय की जो नियमित सेवा नहीं हो और जो पूर्णतः या सारतः सरकार के स्वामित्व या

नियंत्रण में है, सेवा से पदच्युत किया गया है पुर्ननियोजित नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो सेवा से अनिवार्य रूप से निवृत्त किया गया है या हटाया गया है, यथास्थिति बोर्ड या केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से पुनर्नियोजित किया जा सकेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने सेवा से त्यागपत्र दिया है या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, इस प्राधिकारी से जिसके अधीन वह पहले कार्य कर रहा था, परामर्श करने के पश्चात् पुर्ननियोजित कर सकेगा।

18. सेवा अभिलेख : प्रत्येक कर्मचारी की सेवा की विशिष्टियों का अभिलेख कर्मचारी की सेवा पुस्तिका या सेवा पत्र में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखा जाएगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

19. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए और बोर्ड द्वारा अस्वीकार किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

20. वेतन और भत्ते : (1) वेतनमान जिसका बोर्ड के स्थापन में कोई पद धारक हकदार होगा वह होगा जो अनुसूची में समुचित पद के सामने उल्लिखित है।

(2) बोर्ड कर्मचारी ऐसे भत्तों के ऐसी दरों पर हकदार होंगे जो बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर अवधारित की जाए।

(3) बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन का नियतन और वेतनवृद्धियों की मंजूरी ऐसी रीति से विनियमित की जाएगी जो बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर अधिकथित की जाए।

21. अग्रिम : (1) बोर्ड के बजट प्राक्कलनों में निधियों की व्यवस्था के अधीन रहते हुए अध्यक्ष को, बोर्ड के कर्मचारियों को निम्न प्रकार के अग्रिम मंजूर करने की शक्तियां होंगी।

(क) गृह निर्माण अग्रिम

(ख) कार अग्रिम,

(ग) स्कूटर, मोटर साइकिल अग्रिम

(घ) पंखा अग्रिम

(ङ) त्यौहार अग्रिम।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अग्रिमों की मंजूरी ऐसी रीति से विनियमित की जाएगी जो बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिकथित की जाए।

22. छुट्टी, चिकित्सा प्रसुविधाओं और यात्रा भत्ते का हक :

(क) बोर्ड के कर्मचारी ऐसी छुट्टी (जिसके अन्तर्गत छुट्टी सम्वलयन है) चिकित्सा प्रसुविधाएं और यात्रा भत्ते के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों के अधीन इस निमित्त विहित की जाए।

23. सेवा निवृत्ति फायदे : (1) बोर्ड के अधीन सेवा, तेल उद्योग विकास निधि से पेंशन के लिए अर्हित नहीं करेगी। फिर भी यह ऐसे नियमों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित और राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं, उपदान के लिए अर्हित करेगी।

(2) बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर कोई सरकारी सेवक पेंशन और अन्य बातों की बाबत सेवा की वही शर्तों द्वारा शासित होगा जो उसको सरकारी सेवक के रूप में लागू होती है।

(3) बोर्ड अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए एक अभिदायी भविष्य निधि स्थापित करेगा और उसे बनाए रखेगा और कर्मचारियों से उक्त निधि में ऐसे नियमों के अनुसार जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं और राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं अभिदाय करने की अपेक्षा करेगा।

(4) अभिदायी भविष्य निधि सचिव द्वारा या अध्यक्ष द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रशासित की जाएगी।

24. नियंत्रण और अनुशासन : बोर्ड के कर्मचारियों का आचरण, अनुशासन और नियंत्रण ऐसे नियमों के अनुसार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए जाएं और राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

25. निर्वचन : इन नियमों के निर्वचन की बाबत कोई भी प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा० सं० 7/7/83-वित्त II]

आर० वासुदेवन, संयुक्त सचिव

अनुसूची

पदाभिधान	वेतनमान	मंजूर पदों की संख्या
सचिव	अधिनियम का धारा 5(3) के अधीन सचिव की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी और उसका वेतन भी सरकार द्वारा नियत किया जाएगा	1
2. वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी	2000-125/2-2250	1
3. ज्येष्ठ लेखा और प्रशासनिक अधिकारी	1100-50-1600	1
4. तकनीकी अधिकारी	1100-50-1600	1
5. लेखा अधिकारी	840-40-1200	1
6. अनुभाग अधिकारी	650-30-740-35-880-द०रो०-40-1200	1
7. सहायक	425-15-500-द०रो०-15-560-20-700-द०रो० 25-800	1
8. आशुलिपिक श्रेणी 'ख'	650-30-740-35-880-द०रो०-40-1040	1
9. आशुलिपिक श्रेणी 'ग'	425-15-560-द०रो०-15-560-20-700-द०रो० 25-800	4
10. आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560	1
11. उच्च श्रेणी लिपिक	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो० 15-560	2
12. निम्न श्रेणी लिपिक	260-6-290-द०रो०-6-326-8-366 द०रो० 8-390 10-400	2
13. स्टाफ कार चालक	260 6-290-द०रो०-6-326-8-366-द०रो०-8-390-10-400/330-8 370-10-400-द०रो०-10-480	1
14. चपरासी	196-3-220-द०रो०-3-232	4

पदों का वर्गीकरण

समूह क--पद जिनका वेतन या वेतनमान 1300-00 रुपए के अधिकतम से कम नहीं है।

समूह ख--पद जिनका वेतन या वेतनमान 900 रुपए के अधिकतम से कम नहीं है किन्तु 1300.00 रुपए से कम है।

समूह ग--पद जिनका वेतन या वेतनमान 290 रुपए से ऊपर का अधिकतम है किन्तु 900 रुपए से कम है।

समूह घ--पद जिनका वेतन या वेतनमान ऐसा है जो अधिक से अधिक 290 रुपए या उससे कम है।

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 1984.

GSR 509(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974) and in supersession of the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1978, except as respects since done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement : — (1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (General Conditions of Service) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974);

(b) "appointing authority" in relation to exercise of a power means Board and includes.—

(i) the Chairman, in relation to exercise of such power in respect of Group A posts;

(ii) the Secretary, in relation to exercise of such power in Groups B, C and D posts;

(c) "Secretary" means the Secretary of the Board;

(d) "Employee" means a person who holds a post under the Board but does not include casual employee;

(e) "Schedule" means the Schedule to these rules.

3. Application.—(1) These rules shall apply to all the employees of the Board except :—

(a) those who are on foreign service terms with the Board in whose case the terms and con-

ditions of appointment and service agreed to between the Board and the lending organisation would apply; and

(b) those paid from contingencies,

(2) Nothing in these rules shall operate to deprive an employee of any right or privilege to which he is entitled

(a) by or under any law for the time being in force; or

(b) by the terms or conditions of service or any agreement, subsisting between such person and the Government; or

(c) by the terms or any agreement subsisting between him and the Board at the commencement of these rules.

4. Creation of posts and appointment thereto.—The Board may create such posts and make appointments thereto, as may be necessary for the performance of its functions;

Provided that for creation of posts in Group A and Group B and appointments thereto, prior approval of the Central Government shall be obtained :

Provided further that for creation of Group A and Group B posts and appointment thereto on purely temporary and ad hoc basis prior approval of the Central Government shall not be necessary.

5. Strength and composition of the office establishment of the Board.—The categories of the posts in the Board and their strength sanctioned on regular basis shall be such as is specified in the Schedule.

6. Appointment.—All appointments to posts in the service of the Board shall be made by the appointing authority.

7. Qualifications for and method of recruitment.—The qualifications for and the method of recruitment to a post or class of posts shall be such as the Board may specify from time to time.

8. Age on initial appointment.—(1) No person shall be appointed to a post in the Board unless he has attained the age of 18 years.

(2) Every employee newly appointed to a post under the Board at the time of appointment shall declare the date of his birth by the Christian Era and shall produce confirmatory documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority.

9. Verification of character and antecedents.—Mere selection of a candidate confers no right to appointment unless the appointing authority is satisfied, after such enquiries as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment.

10. Medical Certificate on First Entry.—No person shall be appointed to a post in the Board without a medical certificate of health, for initial entry into the service, obtained in accordance with the Government instructions in this regard ;

Provided that the Board may by order exempt, permanently or temporarily, any candidate or of candidates from the production of such cert of fitness.

11. Seniority.—Seniority of an employee i grade to which he belongs shall be regulate determined in accordance with the instructio the Central Government in this regard.

12. Promotion.—For the purpose of prom posts in the Board shall be classified into the foll two categories, namely;

(a) Selection Post.—Posts, promotion to v shall be made by selection based on with due regard to seniority.

(b) Non-selection Posts :—Posts, promotio which shall be made by seniority subje rejection of the unfit.

13. Loan of services of the employees of the I on Foreign Service terms—(1) Permanent ployees, and those temporary employees of the I who have put in 3 years service in the B , be allowed to go on deputation to other org tions. The deputation in each case shall be app by the Chairman and the period of deputation be 2 years in the first instance :

Provided that no employee will be allowe proceed on deputation to private organisations.

(2) In a case where the services of an emp have been placed at the disposal of an outside a rity, he shall be entitled to all the protection or fits as would have accrued to him had he been sent in the Board.

(3) The terms and conditions governing the eign service shall be decided in consultation wit borrowing department.

(4) The borrowing organisation will be respo for the payment of :—

(i) in the case of death during the peric deputation, the excess of amou tuity admissible as per sub-rule (2) of 5 of the Oil Industry Development E Employees (Death-cum-Retirement) tuity Rules, 1983;

(ii) in the case of death or injury during period of deputation, any compens that may be admissible under the rul the Board or the provisions of any other or rules.

(5) The borrowing organisation will be liab pay leave salary (including allowances) in respe disability leave granted to the officer on account o disability incurred while on deputation even if disability manifests itself after the termination o deputation period.

14. Resignation.—(1) The authority compete accept the resignation of an employee is the app ing authority.

(2) Every temporary employee shall be required to give one month's notice in writing to the Board while submitting his resignation :

Provided that an employee who has been declared permanent shall be required to give three months notice.

(3) Notwithstanding the provisions of sub rule (2) the appointing authority may, at its discretion, accept the resignation of the employee with immediate effect or with effect from any time before the expiry of the notice period.

15. Termination of Service.—(1) Except as may be specifically provided in the contract of service, the services of a temporary employee shall be liable to termination at any time without asigning any reason by a notice in writing given by the appointing authority to the employee and the period of such notice shall be one month.

Provided that the services of any such employee may be terminated forthwith and on such termination, the employee shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of the notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

16. Retirement.—(1) The age for retirement from the service of the Board shall be 60 years for an employee in Group D and 58 years for all other employees and he shall retire from the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of retirement.

(2) An employee, other than a Group D employee, may be granted extension of srevice after he attains the age of retirement, with the sanction of the Board and approval of the Central Government, if such extension is in the interest of work of the Board and the grounds therefore are recorded in writing;

Provided that no extension under this sub-rule shall be granted for a period exceeding two years, except in very special circumstances.

(3) An employee may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service after he has attained the age of fifty years.

(4) An employee who has put in not less than 20 years of qualifying service may, by giving a notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire voluntarily with weightage of upto 5 years towards qualifying service subject to the conditions that (i) the total qualifying service after allowing the weightage, should not, in any event, exceed 30 years' qualifying service; and (ii) the total qualifying service after giving the weightage should not exceed the qualifying service which he would have rendered if he had retired after attaining the age of 50 years prescribed under sub rule (3).

17. Re-appointment.—(1) No person who has been dismissed from the service of the Board or the Government or a body, incorporated or not, which is fully or substantially owned or controlled by the Government, shall be re-employed. A person who has been compulsorily retired or removed from service may be re-employed with the prior approval of the Board or the Central Government, as the case may be.

(2) The appointing authority may re-employ a person who has resigned from service or whose services have been terminated after consultation with the authority under whom he was previously working.

18. Record of Service.—A record of particulars of service of each employee shall be maintained in the Service Book or Service Sheet of the employee in such form and in such manner as may be specified by the Board from time to time.

19. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time and adopted by the Board.

20. Pay and Allowances.—(1) The scale of pay to which the holder of a post in the establishment of the Board shall be entitled to shall be such as is mentioned against the appropriate post in the Schedule.

(2) The employees of the Board shall be entitled to such allowances and at such rates as may be determined by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

(3) The fixation of pay and grant of increments to the employees of the Board shall be regulated in such manner as may be laid down by the Board from time to time with the prior approval of the Central Government.

21. Advances.—(1) Subject to the provisions of funds in the budget estimates of the Board, the Chairman shall have the powers to grant to the employees of the Board the following types of advances:

(a) House Building Advance

(b) Car Advance

(c) Scooter/Motor|Cycle Advance

(d) Fan Advance

(c) Festival Advance

(2) The grant of advances referred to in sub-rule (1) shall be regulated in such manner as may be laid down by the Board with the prior approval of the Central Government.

22. Entitlement to Leave, Medical benefits and Travelling Allowance.—The employees of the Board shall be entitled to such leave (including leave salary) medical benefits and travelling allowance, as may be prescribed by the Central Government under the rules in this regard.

23. Retirement benefits.—(1) Service under the Board shall not qualify for pension from Oil Industry Development Fund. It will, however, qualify for gratuity in accordance with such rules as may be framed and notified by the Central Government in the Official Gazette.

(2) A Government servant on deputation to the Board shall continue to be governed by conditions of service in regard to ~~person~~ pension and other matters which apply to him as Government servant.

(3) The Board shall establish and maintain a Contributory Provident Fund for the benefit of its employees and require them to subscribe to the said Fund in accordance with such rules as may be made and notified by the Central Government in the Official Gazette.

(4) The Contributory Provident Fund shall be administered by the Secretary or any other officer authorised by the Chairman in this behalf.

24. Control and Discipline.—The conduct, discipline and control of the employees of the Board shall be in accordance with such rules as may be made and notified by the Central Government in the Official Gazette.

25. Interpretation.—Any question as to interpreation of these rules shall be referred to the Central Government for a decision.

[F. No. 7/7/83-Fin.II]
R. VASUDEVAN Jt. Secy.

SCHEDULE

Sl. No.	Designation of post	Scale of Pay	No. of posts sanctioned
1	2	3	4
1.	Secretary	Under section 5(3) of the Act, the Secretary is to be appointed by the Central Government and his salary is also to be fixed by Government.	1
2.	Financial Adviser and Chief Accounts Officer	2000-125/2-2250	1
3.	Sr. Accounts/Administrative Officer	1100-50-1600	
4.	Technical Officer	1100-50-1600	
5.	Accounts Officer	840-40-1200	
6.	Section Officer	650-30-740-35-880-EB-40-1200	
7.	Assistant	425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800	
8.	Stenographer Grade B	650-30-740-35-880-EB-40-1040	
9.	Stenographer Grade C	425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800	
10.	Stenographer Grade D	330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	
11.	Upper Division Clerk	330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	
12.	Lower Division Clerk	260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400	
13.	Staff Car Driver	260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400/-330-8-370-10-400-EB-10-480	
14.	Peon	196-3-220-EB-3-232	

Classification of Posts

Group A	Post carrying a pay or a scale of pay w maximum of not less than Rs. 1300.00
Group B	Post carrying a pay or a scale of pay w maximum of not less than Rs. 900.00 bu than Rs. 1300.00
Group C	Post carrying a pay or a scale of pay w maximum of over Rs. 290.00 but less t Rs. 900.00
Group D	Post carrying a pay or a scale of pay the m mum of which is Rs. 290.00 or less.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984